झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या– वा0क0/कम्प्यू0फॉम एफ/03/2014 – 387 / राँची, दिनांक –3/1/14

प्रेषक,

मस्त राम मीणा,
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(वैट ऑडिट)/(अपील),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम 11A उपनियम–(2) के अधीन ऑनलाईन केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्र 'एफ' के निर्गमन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

e-governance प्रक्रिया के अधीन केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्र **'एफ'** के निर्गमन की योजना **दिनांक 01.02.2014** के प्रभाव से अनिवार्य रूप से प्रारंभ की जा रही है। व्यवसायी वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंतिम त्रैमास (माह, जनवरी–फरवरी–मार्च, 14) के लिए प्रपत्र **'एफ'** का निर्गमन ऑनलाईन करेंगे। केन्द्रीय बिक्री कर झारखण्ड नियमावली, 2006 के नियम **11A** के उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति के आलोक में केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्र **'एफ'** के निर्गमन हेतु ऑनलाईन **Process flow** निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

1. व्यवसायी द्वारा, प्राप्त **ID/Password** की सहायता से विभागीय वेबसाईट **www.jharkhandcomtax.gov.in** पर click करेंगे
2. व्यवसायी द्वारा अपने **Home Page 'Central Form'** के **Menu** के अधीन **sub-menu 'Apply for Form 'F'** को **click** करेंगे।
3. व्यवसायी द्वारा समर्पित किए गए **CST Returns** से संबंधित माह (जिस माह के लिए **प्रपत्र 'एफ'** का निर्गमन करना है) का चयन **CST Return** के **receipt No.** से किया जाएगा।
4. उपरोक्त प्रकिया के उपरांत व्यवसायी को **Excel sheet** (विहित प्रपत्र में) **download** करने का विकल्प सामने आएगा।
5. व्यवसायी उक्त **Excel Sheet** में प्रेषक (**Transferor**) व्यवसायी का **TIN, Firm's Name, Address, State, STN /Challan No./Invoice Date, Period, Commodity, Quantity or Weight, Value, Mode of Transport, RR/LR/GR/PR/ Others No.** एवं **Date** तथा **SUGAM G No.** का विवरण भरेंगे
6. व्यवसायी द्वारा उक्त भरे हुए **Excel Sheet** को **Browse** कर **Upload** किया जा सकेगा।
7. व्यवसायी उक्त **Uploaded Excel Sheet** को देख सकते हैं एवं भरे गए विवरण में **'Invoice Tab'** में जाकर आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकते हैं।
8. तदोपरांत **'Application Tab'** में जाकर **Process link'** को **click** करने पर **'Online issuance of Form-F'** हेतु **Application** का भरा हुआ (व्यवसायी द्वारा **Uploaded Excel Sheet** के आधार पर) **Format** सामने आएगा।
9. व्यवसायी **Application Tab** के अधीन उपलब्ध **'View' Icon** की सहायता से निर्गत होने वाले **प्रपत्र 'एफ'** को देख सकते हैं। व्यवसायी अपनी इच्छानुसार प्रविष्ट किए विवरण को **delete** कर सकते हैं।

10. **प्रपत्र 'एफ'** के 'View' से संतुष्ट होने की स्थिति में व्यवसायी **'Print' button** का प्रयोग कर **प्रपत्र 'एफ'** का Print Out निकाल सकते हैं।

11. व्यवसायी **'Central Form- Issued List'** से ऑनलाईन निर्गत प्रपत्र 'एफ' की सूची देख सकते हैं।

12. विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाईन निर्गमित वैधानिक प्रपत्रों की inventory उपलब्ध रहेगी। साथ ही, TINXSYS पोर्टल पर भी ऑनलाईन निर्गमित/download वैधानिक प्रपत्रों का विवरण उपलब्ध रहेगा जिसका प्रतिसत्यापन किया जा सकेगा।

केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम 11A(1) के अधीन व्यवसायियों को प्रति 25 केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्रों (पन्नें) के लिए विहित 100 रूपये का शुल्क जमा करने का प्रावधान यथावत रहेगा। उक्त शुल्क CST के अधीन वैट के TIN के साथ Admitted Tax Menu में उपलब्ध "Miscellaneous" विकल्प में जमा किया जा सकता है।

व्यवसायी द्वारा दाखिल **JVAT 200** के कॉलम संख्या–**8A** में दर्शाये गये **'Inter State Arrival'** के कुल योग के बराबर **प्रपत्र 'एफ'** का कुल मूल्य होना आवश्यक है। प्रत्येक तीसरे महीनें के **CST Return** में कॉलम संख्या–27 **enable** होता है जिसमें व्यवसायी को पूरे त्रैमास की अवधि में प्राप्त **Stock Transfer/ Arrival** का कुल मूल्य तथा वांछित प्रपत्र **'एफ'** की संख्या का उल्लेख करना अपेक्षित है। सुलभ संदर्भ हेतु **Online Issuance of Form 'F'** से संबंधित मैनुअल विभागीय वेबसाईट **www.jharkhandcomtax.gov.in** पर उपलब्ध है।

आवश्यकतानुसार समय–समय पर प्रासंगिक परिपत्र में संशोधन/परिवर्त्तन किया जाएगा।

विश्वासभाजन

30.1.14

(एम0आर0मीणा)

सचिव–सह–आयुक्त।

/पंकज